ईवी पर अब 30 सितंबर तक छूट

राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। ई-वाहन खरीदने वालों को सरकार ने राहत दी है। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। इस योजना के तहत ई-वाहन खरीदने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इससे इनकी कीमत कम हो जाती है। इसके साथ ही सरकार ने बजट में इस योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है। ऐसे में अब लोगों को सब्सिडी के रूप में 278 करोड़ रुपये अधिक दिए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार लगातार ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह ईवी की खरीद बढ़ाना है।

ये हैं सब्सिडी के पात्र

इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों में पंजीकृत ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन सब्सिडी पाने के पात्र हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं किया गया है।

ई-दुपहिया पर 10 हजार तक की छूट

चूंकि ये वाहन महंगे होते हैं, ऐसे में सरकार इस योजना के तहत ई-वाहन खरीदने वाले लोगों को छूट देती है। यह छूट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10 हजार रुपये, छोटे थ्री-व्हीलर पर 25 हजार रुपये और बड़े थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक की होती है। इस योजना को मार्च 2024 में शुरू किया गया था।